**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**
**पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰**

**प्रकरण संख्या 6 / 2020 (उदयपुर आर्डर)**

छगनलाल पिता चुन्नीलाल जी मेघवाल, निवासी निमडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट / प्रार्थी

**बनाम**

1. उदा पिता वेणा जी मेघवाल, निवासी निमडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट / विपक्षीगण

प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम
19 सपठित धारा 151 सी. पी. सी.
———/———

उपस्थित :– 1– श्री अनिल टेलर अभिभाषक अपीलान्ट / प्रार्थी
2– श्री रामलाल मेघवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट / विपक्षी सं. 1

———::———

**निर्णय** **दिनांक 28–05–2024**

अपीलान्ट / प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी / अपीलान्ट ने आप न्यायालय में सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 32 / 2015 निर्णय दिनांक 20–06–2016 के विरूद्ध अपील संख्या 74 / 2016 प्रस्तुत की थी, जिसमें आप न्यायालय में पत्रावली दिनांक 12–12–2016 को तलबी हेतु नियत थी, किन्तु उक्त दिनांक को अवकाश हो जाने से दिनांक 13–12–2016 को पत्रावली नियत की गयी, जिस दिन रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में पत्रावली की तलबी बाकी थी, किन्तु अपीलान्ट / प्रार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति में देरी होने के कारण अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी। उक्त दिनांक को अपीलान्ट चिकित्सकीय परामर्श के कारण स्वयं न्यायालय में उपस्थित नहीं सका था तथा बाद में कतिपय कारणों से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया। दिनांक 27–10–2020 को प्रतिलिपि प्राप्त होने पर प्रकरण अदम हाजरी अवम पैरवी में खारिज होने की जानकारी हुई। प्रार्थी / अपीलान्ट द्वारा की गयी जानबूझकर कोताही नहीं बरती गयी है तथा अनुपस्थिति का युक्तियुक्त एवं सद्भाविक कारण है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा सशपथ प्रस्तुत किया गया है। अतः आप न्यायालय का प्रकरण संख्या 74/2016 पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपीलान्ट/प्रार्थी अपने प्रकरण के प्रति काफी लापरवाह हैं। दिनांक 13–12–2016 को अपीलान्ट/प्रार्थी व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण विधिक प्रक्रिया के तहत इनकी अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गयी है, जिसे पुनः नंबर पर लेने का प्रार्थना पत्र अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा करीब 4 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है एवं इसके लिए जो कारण बताये हैं, वह न तो उचित प्रतीत होते हैं एवं न ही पर्याप्त कारण है। अतः प्रार्थना पत्र बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 13–12–2016 को प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने के पश्चात् अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा दिनांक 03–11–2020 यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो करीब 3 वर्ष 10 माह विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, जबकि एक माह की समयावधि में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए था। उक्त देरी को कण्डोन कराने हेतु जो कारण अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा बताये गये हैं, वह न तो उचित प्रतीत होते हैं एवं न ही इतने अधिक विलम्ब के लिए कोई पर्याप्त कारण है। तद्नुसार उक्त प्रार्थना पत्र बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अतः अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 13–12–2016 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 28–05–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:50 IST
Reason: SelfAttested